अत्यावश्यक

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
e-mail:mmuzaffarpur.bih@nic.in

****

—: आ दे श :—

नई उत्पाद नीति, 2016 के तहत् सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से मद्य निषेध लागू किया गया है । उक्त नीति के तहत कहीं पर भी देशी शराब का उत्पादन एवं बिक्री को बंद कर दिया गया है । नई उत्पाद नीति को सफल बनाने हेतु जिलास्तर/प्रखण्डस्तर/ पंयायतस्तर पर टीम गठित की गई है ।

2. अभी तक चलाये गये विभिन्न अभियानों के तहत नियमित रूप से शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों की सूची बनायी गई है । साथ ही ऐसे टोलों की भी सूची बनायी गई है जहां पर पूर्व से अवैध शराब के निर्माण की शिकायतें पायी गई हैं । चूंकि अब शराब का निर्माण और बिक्री बंद कर दिया गया है, अतः संभावना है कि चोरी छुपे गलत तरीके से अवैध शराब का निर्माण लोगों के द्वारा किया जा सकता है, जो कि सरकार की नीति के प्रतिकूल है । साथ ही इस तरह के निर्माण हेतु जहरीले शराब बनाने की भी बड़ी संभावना है । इससे भी लोगों के आहत होने की प्रबल संभावना रहेगा ।

3. नई उत्पाद नीति, 2016 को लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । सरकार के द्वारा जारी किये गये विभिन्न पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों के दायित्व निर्धारण किये गये हैं । इस नीति को सफल बनाने हेतु जिला से लेकर प्रखण्डस्तर तक के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्पाद नीति को लागू करने हेतु अपना योगदान देने की जरूरत है । उक्त स्थिति को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि जिलास्तरीय/अनुमंडल स्तरीय/प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में मद्य निषेध को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र भ्रमण करेंगे । क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से वार्ता कर मुख्य रूप से यह पता करेंगे कि कहीं पर भी अवैध शराब का निर्माण या बिक्री तो नहीं हो रहा है । साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय कर्मियों के सहयोग से लोगों को इकट्ठा कर जागरूक कराने का भी प्रयास करेंगे ।

4. जिलास्तर/अनुमंडलस्तर के सभी पदाधिकारी (विभागीय पदाधिकारी सहित) सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी भी पंचायत में जाकर मद्य निषेध के अन्तर्गत दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई करेंगे और उसी दिन संध्या में विहित प्रपत्र (संलग्न) में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे ।

5. प्रखण्डस्तर के पदाधिकारी प्राथमिकता पर समय निकाल कर पंचायतों में जायेंगे और मद्य निषेध के तहत दिये गये निदेश के आलोक में जाँच/जनता को जागरूक तथा छापेमारी करने की कार्रवाई करेंगे । सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारी थानास्तर से समन्वय स्थापित कर बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 के तहत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और उसी दिन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे । प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारी सप्ताह में यथासंभव भ्रमण कर सकते हैं, किन्तु हर हाल में प्रत्येक सप्ताह में दो भ्रमण अलग–अलग पंचायतों में जरूर करेंगे ।

जांच हेतु विहित प्रपत्र

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण स्थल का नाम	निरीक्षण में पाये गये तथ्य	अभ्यु0
1	2	3	4	5	6

6. निर्धारित विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारी पंचायतों/स्थलों का जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन उसी दिन संध्या में उत्पाद अधीक्षक कार्यालय, मुज0 को उपलब्ध करायेंगे । उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सभी प्रतिवेदनों को समेकित कर समीक्षा करते हुए उचित कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे । यदि किसी पदाधिकारी के द्वारा सप्ताह में भ्रमण नहीं किया जाता है तो उत्पाद अधीक्षक, मुज0 सप्ताह के अंतिम दिन अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ।

7. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से सभी पंचायत स्तरीय पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका एवं विकास मित्रों को निदेश देंगे कि मद्य निषेध के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे । सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारी अपने स्तर से इस आशय का एक आदेश जारी करेंगे तथा सभी कर्मियों को मद्य निषेध के बारे में बतायेंगे । पंचायत स्तरीय कर्मियों का दायित्व होगा कि लोगों को मद्य निषेध हेतु जागरूक/प्रेरित करेंगे एवं प्राथमिकता पर समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्र को नशामुक्ति हेतु प्रभावकारी कार्रवाई करेंगे। पंचायत स्तरीय कर्मी अवैध शराब बनाने वाले/बेचने वाले/पीने वाले व्यक्तियों के बारे में भी आसूचना संग्रह कर अपने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों से आसूचना संग्रह सुनिश्ति कराएगें एवं उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाना एवं उत्पाद अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर छापेमारी सुनिश्चित करायेंगे। नए संशोधन अधिनियम के तहत् Public Places (स्कूल/चौक–चौराहे/पंचायत भवन/सड़क गली आदि) पर शराब पीना, शराब पीकर उत्पात मचाना आदि भी संज्ञेय अपराध घोषित है। अतः ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं पंचायत स्तरीय कर्मी थाना को सूचित कर इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे।

8. साथ ही विभागीय पदाधिकारी यथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी अपने स्तर से सभी अधीनस्थ सभी जिलास्तरीय/ अनुमंडलस्तरीय/प्रखण्डस्तरीय एवं पंचायतस्तरीय कर्मियों को मद्य निषेध को सफल बनाने के लिए दिये गये निदेश के आलोक में साप्ताहिक रूप से आसूचना संग्रह करने हेतु निदेश देंगे । साथ ही अपने क्षेत्रान्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई कर नियमित रूप से प्रतिवेदन उत्पाद अधीक्षक कार्यालय को समर्पित करेंगे ।

9. मद्य निषेध को सफल बनाने में किसी भी पदाधिकारी/कर्मी की लापरवाही पायी जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उत्पाद नीति के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप में विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी ।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक-2004/गो. दिनांक 4/4/16

प्रतिलिपि – वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच/निदेशक, एन.ई.पी./निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला स्थापना उप समार्ता, मुज0/जिला नजारत उप समाहर्ता, मुज0/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिम/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी/जिला लेखा पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुज़फ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस./प्रभारी पदाधिकारी, एम.डी.एम., मुजफ्फरपुर एवं समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी थानाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्वी/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या 01 एवं 02, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी-1 एवं 2/पश्चिमी/कार्यपलाक अभियंता, डूडा/कार्यपालक अभियंता, नगर निगम/विद्युत कार्यपालक अभियंता, आपूर्ति प्रमंडल ग्रामीण/बिजनेस हेड, एस्सेल/कार्यपालक अभियंता, एन0एच0,-1/2, मुज0/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल/जल निस्सरण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं रूपांकन प्रमंडल 1/3/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल-1/2 एवं सरैया/जिला अभियंता, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/4/16

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

19